संख्या-4794/X-2-2007-12(12)/2007

प्रेषक,

आर०के० मिश्र
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन.

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक
नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन,
उत्तराखण्ड, देहरादून.

वन एवं पर्यावरण अनुभाग-2 देहरादून :दिनांक 01 अक्टूबर, 2007

विषयः- अनुदान संख्या-30 में एस०सी०एस०पी० के अन्तर्गत वन विभाग की आयोजनागत पक्ष की योजनाओं की वर्ष 2007-08 की वित्तीय स्वीकृति.

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-वि.392/35-1(अनु.जा.उप योजना), दिनांक 13 सितम्बर, 2007 एवं पूर्व पत्र संख्या-वि.61/35-1-वी, दिनांक 26 जुलाई, 2005, पत्र संख्या-वि.498/35-1, दिनांक 07 अक्टूबर, 2006, पत्र संख्या-वि. 684/35-1, दिनांक 30 नवम्बर, 2006 तथा पत्र संख्या-वि.930/35-1, दिनांक 19 जनवरी, 2007 द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संलग्नक में दिये विवरणानुसार सम्बन्धित प्रभागों हेतु वन विभाग के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष की "सिविल एवं सोयम वनों का विकास" योजना के लिए रू0 4,95,62,000/- (रू0 चार करोड़ पिचानबे लाख बासठ हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन प्रदान करते हैं:-

1. उक्त स्वीकृत व्यय चालू योजनाओं पर ही किया जाये और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग नये कार्यों के कार्यान्वयन के लिए न किया जाय. विभिन्न मदों में व्यय से पूर्व वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-255/XXVII(1)/2007, दिनांक 26 मार्च, 2007 तथा पत्र संख्या-599/XXVII(1)/2007, दिनांक 12 जुलाई, 2007, द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार सक्षम स्तर की अनुमति /यथा स्थिति शासन का अनुमोदन प्राप्त कर ही किया जाये. निर्माण कार्य सम्बन्धी आगणनों पर सक्षम स्तर का अनुमोदन पूर्व में ही प्राप्त कर लिया जाय तथा यथा आवश्यकता नियमानुसार प्रशासनिक स्वीकृति पृथक से प्राप्त की जाय. सम्भावित व्यय की फेजिंग (त्रिमास के आधार पर) तथा अन्य सूचनायें एवं विवरण समयबद्ध आधार पर शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय. किसी भी शासकीय व्यय हेतु भण्डार क्रय प्रक्रिया (स्टोर परचेज रूल्स) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-पांच भाग -1 (लेखा नियम) आय-व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल), सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शासनादेश तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय.
2. योजना की विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुसार ही किया जाये तथा जहाँ आवश्यकता हो सक्षम अधिकारी/शासन की पूर्व सहमति/स्वीकृति ली जाय. मितव्ययता के सम्बन्ध में नियमों का कड़ाई से पालन किया जाय.
3. स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में सक्षम स्तर से प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त कर ही व्यय किया जाय.
4. प्रतिबद्ध मदों के अतिरिक्त उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय करने से पूर्व गत वर्ष सम्पादित कार्यों के सापेक्ष निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा चालू वर्ष का वर्क प्लान प्रस्तुत कर पृथक से शासन की स्वीकृति प्राप्त की जाय. शासन द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव/योजना के सापेक्ष निर्धारित कार्यों पर ही व्यय किया जाय तथा किसी भी स्थिति में स्वीकृत धनराशि का व्यय अन्य मद में नहीं किया जाय.
5. विभाग द्वारा अनुमोदित कार्य योजना/ माइक्रोप्लान के अनुसार ही योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाय.
6. धनराशि आहरित करने से पूर्व सम्बन्धित क्षेत्र में प्रश्नगत योजना के क्रियान्वयन हेतु वन संरक्षण अधिनियम के विभिन्न प्राविधानों तथा भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों का अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जाय.

क्रमशः.....2

7. धनराशि का आहरण यथा आवश्यकता ही किया जाय तथा विभाग द्वारा आंतरिक लेखा परीक्षा के बाद उपयोग की गयी धनराशि के सापेक्ष वित्तीय/भौतिक प्रगति शासन के समाज कल्याण तथा वित्त विभाग को भी उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय. गत वर्ष सम्पादित कार्यों की आन्तरिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट शासन को एक माह के अन्दर उपलब्ध कराई जाय.

8. स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार एवं शासन के वित्त विभाग को वर्षान्त तक अवश्य उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय.

9. अप्रयुक्त धनराशि बजट मैनुअल के प्राविधानों के अन्तर्गत समय सारणी के अनुसार समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा.

2. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2007-08 के आय-व्ययक अनुदान संख्या-30 के लेखा शीर्षक 2406-वानिकी तथा वन्य जीवन 01-वानिकी 800-अन्य व्यय-02-अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान 02-03-"सिविल एवं सोयम वनों का विकास" योजना की मानक मद 24-वृहद् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा.

3. ये आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या-242(P)/XXVII(4)/2007, दिनांक 03 अक्टूबर, 2007 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं.

भवदीय

/

(आर0के0 मिश्र)
अपर सचिव

संख्या-4794(1)/X-2-2007, तद्दिनांकित.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार(लेखा एवं लेखा परीक्षा), उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून.
2. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून.
3. अपर प्रमुख वन संरक्षक, परियोजनायें, उत्तराखण्ड, देहरादून.
4. प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून.
5. सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून.
6. अपर सचिव, वित्त अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून.
7. निजी सचिव, माननीय मुख्य मंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन
8. निजी सचिव, माननीय वन एवं पर्यावरण मंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन.
9. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून.
10. आयुक्त, गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल, उत्तराखण्ड.
11. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड.
12. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, देहरादून.
13. मुख्य/वरिष्ठ/सम्बन्धित कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड.
14. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन, सचिवालय, देहरादून.
15. प्रभारी, एन.आई.सी., उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून.
16. गार्ड फाइल (जे).

(ओ0पी0 तिवारी)
उप सचिव